

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक-1921 / 198 / आउशि / बजट / 18  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/9/2018

- (1) प्राचार्य,  
नीचे दर्शाये अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश
- (2) प्राचार्य,  
नीचे दर्शाये अनुसार संबंधित शास. अग्रणी महाविद्यालय,  
मध्यप्रदेश

विषय-“योजना क्रमांक 7134- नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जाने हेतु अनुदान योजना”  
अन्तर्गत नवीन महाविद्यालयों को बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19

निम्नलिखित नवीन प्रारंभ किये गये शासकीय महाविद्यालयों को महाविद्यालय संचालन हेतु आधारभूत सुविधाओं एवं आवश्यक सामग्री/व्ययों के लिए उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आवंटन जारी किया जाता है :-

स. क.	नवीन शासकीय महाविद्यालय	जिला	संबंधित अग्रणी महाविद्यालय	पत्र क्र. एवं दिनांक	बजट शीर्ष 44 -2202-03-103-0101- 7134	प्रस्तावित राशि रूपये
1	शा.महावि. गोपालपुर	सीहोर	शा.पी.जी. महावि.सीहोर	46 / 18.09.18	7134-22-003 फर्नीचर 7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	200000 100000
2	शा.महावि. कुरई	सिवनी	शा.पी.जी. महावि.सिवनी	अग्रणी 1027 / 07.09.18	7134-22-003 फर्नीचर 7134-22-007 स्टेशनरी 7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	200000 20000 100000
3	शा.महावि. केशवाही	शहडोल	शा.नेहरू महावि.बुढ़ार जिला शहडोल	अग्रणी 718 / 07.09.18	7134-22-003 फर्नीचर 7134-22-007 स्टेशनरी 7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	150000 20000 100000
4	शा.महावि. वेंकटनगर	अनूपपुर	शा.तुलसी महावि.अनूपपुर	अग्रणी 834 / 12.09.18	7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	150000
5	शा.महावि. राजनगर	अनूपपुर	शा.तुलसी महावि.अनूपपुर	अग्रणी 835 / 12.09.18	7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	150000
6	शा.महावि. नष्टिगवां	रीवा	शा.आदर्श विज्ञान महावि. रीवा	01 / 7.9.16 एवं अग्रणी / क्यू 1 / 18.09.18	7134-22-003 फर्नीचर 7134-22-008 अन्य आकस्मिक व्यय 7134-34-009 सामग्री पूर्ति-अन्य	150000 69000 43000
	कुल योग					1452000

(2) उक्त राशि का आहरण/उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 अन्तर्गत निम्नलिखित 'बजट शीर्ष' में विकलनीय होगा :-

44-2202-03-103-0101-7134-22-003-	फर्नीचर
44-2202-03-103-0101-7134-22-007-	स्टेशनरी
44-2202-03-103-0101-7134-22-008-	अन्य आकस्मिक व्यय
44-2202-03-103-0101-7134-34-009-	सामग्री पूर्ति-अन्य
44-2202-03-103-0101-7134-42-007-	सहायक अनुदान

(3) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(4) सामग्री का क्रय एवं राशि का व्यय/भुगतान प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत, अद्यतन म0प्र0 भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(5) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये।

(6) नवीन शासकीय महाविद्यालयों को अभी डी.डी.ओ. कोड आवंटित नहीं है। अतः समक्ष में अंकित संबंधित शासकीय महावि. / अग्रणी महाविद्यालयों के डी.डी.ओ. कोड अंतर्गत राशि कोषालय सर्वर पर अपलोड है। अतः संबंधित अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य से संपर्क कर नियमानुसार राशि का आहरण एवं भुगतान सुनिश्चित करें। उपयोग की गई राशि का नियमानुसार अभिलेख संधारित किया जावे।

(7) अगवत हो कि वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक सीमा निर्धारित की गई है। अतः आवंटित राशि का नियमानुसार यथाशीघ्र तत्काल आहरण एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(8) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(9) किसी भी स्थिति में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(10) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्रचार्य की होगी।  
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक- 24/11/18

पृ0क0- 1922 / 198 / आउशि / बजट / 18  
प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक मा.मंत्रीजी / राज्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल
2. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
5. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, भोपाल
7. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।  
.....की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश